राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2335/2025

डॉ. श्रीराम कटारिया

–अपीलार्थी

बनाम

शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर, एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 02.04.2025
उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री मनीष शर्मा, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (संवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. इस अपील में अपीलार्थी के अधिवक्ता ने अपने स्थानांतरण आदेश दिनांक 15.01.2025 को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण एसडीएच निवाई, टोंक से ट्रोमा सेंटर एसडीएच नैनवा, बून्दी में किया गया है।
3. हम पाते हैं कि अपीलार्थी ने इसी स्थानांतरण आदेश को चुनौती देते हुए पूर्व में एक रिट याचिका संख्या 2542/2025 माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने यह आदेश पारित किये थे कि अपीलार्थी अपना अभ्यावेदन प्रत्यर्थी विभाग के समझ प्रस्तुत करें, जिसका निस्तारण प्रत्यर्थी विभाग द्वारा 15 दिवस में किया जाएगा। अपीलार्थी द्वारा अपना अभ्यावेदन प्रत्यर्थी विभाग के समझ प्रस्तुत किया जा चुका है। उसके पश्चात अपीलार्थी द्वारा पुनः यह अपील उसी आलोच्य आदेश को चुनाती देते हुए इस अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गई है, चूंकि आलोच्य आदेश के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में रिट याचिका का निस्तारण किया जा चुका है। ऐसे में उसी आदेश को चुनौती देते हुए पुनः नये सिरे से अपील प्रस्तुत किया जाना उचित नहीं है। परिणामस्वरूप यह अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)